



The Bihar Cooperative Societies (Amendment), Act 2011

Act 3 of 2012

Keyword(s):
Co-operative Societies

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1933 (श0)
(सं0 पटना 57) पटना, शुक्रवार, 10 फरवरी 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

10 फरवरी 2012

सं० एल0जी0-1-29/2011/लेज-262—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 8 फरवरी 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 3, 2012]

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम 2011

बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 में संशोधन के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना:— चूंकि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इस अधिनियम के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, ताकि इन्हें प्रजातांत्रिक रूप से अधिक सुशासित बनाया जा सके तथा निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन अधिक पारदर्शी हो सके।

और चूंकि, बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 में इस प्रयोजनार्थ कतिपय संशोधन लाना आवश्यक है; भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह संशोधन बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 18, 2008) के प्रभाव में आने की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

2. बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14क (1) का प्रतिस्थापन।—उक्त अधिनियम की धारा-14क की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

“(1) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उप-विधि के किसी प्रावधानों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबंधित समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनी नियमावली सपटित बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए विहित रीति से किया जायगा :

परन्तु विद्यमान प्रावधानों के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालित निबंधित सहकारी सोसाईटी के सभी पूर्व निर्वाचन सुरक्षित रहेंगे :

परन्तु, और कि, सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन सम्पन्न कराने संबंधी कोई कार्रवाई, आदेश, निर्णय इस संशोधन के अधीन किया गया समझा जायेगा तथा वैसा सम्पन्न कोई निर्वाचन किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डीक्री के होते हुये भी, विधिमान्य समझा जायेगा।”

3. बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14क (2) का प्रतिस्थापन।— उक्त अधिनियम की धारा-14क की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

“(2) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उप-विधि के किसी प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन, इस धारा के प्रावधान के अधीन सम्पन्न होगा यदि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो परन्तु निर्वाचन का परिणाम घोषित नहीं हुआ हो।”

4. बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14क (3) का प्रतिस्थापन।— उक्त अधिनियम की धारा-14क की उप-धारा (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

“(3) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उपविधि के किसी प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन, इस अधिनियम की धारा-14 की उप-धारा (9) में यथा विहित प्रबंध समिति की कालावधि की समाप्ति के पूर्व अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पारित प्रबंध समिति के अधिक्रमण आदेश की तिथि से नौ माह के भीतर संपन्न होगा:

परन्तु इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि को प्रबंध समिति के अधिक्रमण के मामले में, प्रबंध समिति का निर्वाचन नौ माह के भीतर होगा।”

5. बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14क (4) का विलोपन।— उक्त अधिनियम की धारा-14क की उप-धारा (4) एतद् द्वारा विलोपित की जाती है।

6. बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14क (5) का विलोपन।— उक्त अधिनियम की धारा-14क की उप-धारा (5) एतद् द्वारा विलोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

10 फरवरी 2012

सं० एल०जी०-1-29/2011/263/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2012 को अनुमत बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 3, 2012]

BIHAR COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2011

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR COOPERATIVE SOCIETIES ACT, 1935

Preamble :-WHEREAS, it is priority of the Government to conduct the election of the Managing committee of cooperative societies registered under this Act, by Bihar State Election Authority, constituted under Bihar State Election Authority Act, 2008, so that it may be made more democratically well governed and the conduct of the election process, be more transparent;

AND WHEREAS, it is necessary to bring out certain amendment to the Bihar Cooperative Societies ACT, 1935;

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty second year of Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Cooperative Societies (Amendment), Act 2011.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) This Amendment shall be deemed to have come into effect on the date of Bihar Cooperative Societies (Amendment) Act, 2008 (Bihar Act 18, of 2008) came into effect

2. *Substitution of Section 14A (1) of Bihar Cooperative Societies Act, 1935.*— The Sub-section-(1) of Section 14A of the said Act shall be substituted by the following:-

“(1) Notwithstanding, any thing contained in any provision of this Act, rules made thereunder and byelaws of a registered society, the election to the managing committee of cooperative societies registered under this Act shall be conducted by Bihar State Election Authority constituted under Bihar State Election Authority Act, 2008 in the manner prescribed for the conduct of election under Bihar State Election Authority Act, 2008 and rules made thereunder read with Bihar Cooperative Societies Act, 1935 and rules made thereunder:

Provided that all the previous elections of registered cooperative societies conducted by the Competent Authority under the existing provisions would be saved.

Provided, further that any action, order, decision to hold the election of managing committee of cooperative societies shall be deemed to have been made under this Amendment and any election so held shall be valid, notwithstanding any judgment, order or decree of any court.”

3. *Substitution of Section-14A (2) of the Bihar Cooperative Societies Act, 1935.*— The Sub-section-(2) of Section-14A of the said Act shall be substituted by the following:-

“(2) Notwithstanding, any thing contained in any provisions of this Act, rules made thereunder and bye-laws of a registered society, the election to the managing committee of cooperative societies registered under this Act shall be held in terms of the provision of this Section, even if the process of election has commenced but the result of such election has not been declared.”

4. *Substitution of Section-14A (3) of the Bihar Cooperative Societies Act, 1935.*— The Sub-section-(3) of Section-14A of the said Act shall be substituted by the following:-

“(3) Notwithstanding, any thing contained in any provision of this Act, rules made thereunder and bye-laws of a registered society, the election to the managing committee of

cooperative societies registered under this Act shall be held before the expiry of the term of managing committee as prescribed in Sub-section (9) of Section-14 of this Act or within period of nine months from the order of supersession of managing committee passed under the provisions of this Act:

Provided that in the case of supersession of managing committee of any society as on the date of notification of this Amendment, the election to the managing committee shall be held within nine months.”

5. *Deletion of Section-14A (4) of the Bihar Cooperative Societies Act, 1935.*— The Sub-section-(4) of Section-14A of the said Act is hereby deleted.

6. *Deletion of Section-14A(5) of the Bihar Cooperative Societies Act, 1935.*— The Sub-section-(5) of Section-14 A of the said Act is hereby deleted.

By Order of the Governor of Bihar,
OM PRAKASH SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 57-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>